न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 99/019

तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली :—प्रार्थी

बनाम

1 भरोषी पुत्र सोनपाल जाति वैरवा निवासीयान मांचडी तहसील टोडाभीम जिला करौली
— अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 12.6.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 1003 ग्राम मांचडी तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 859/1 सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुनकिन नाला के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्वत 2024 से 27 यह भूमि अप्रार्थी बद्रीलाल,रामप्रसाद पिसरान बलदेव जाति वैरवा निवासी माचंडी तहसील टोडाभीम के नाम जरिये आवंटन से गैरखातेदारी मे दर्ज होकर नामान्तकरण 122 से खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 859/1 का नवीन खसरा नम्बर 1003 रकवा 0.40है0 बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तार्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 1003 रकवा 0.40 है0 वाके ग्राम माचडी को वापस राजकीय भूमि गैरमुमकिन नाला को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी नम्बर 2 की ओर से पूरणमल जाटव उपस्थित हुआ और जबाव पेश कर निवेदन किया गया कि मेने खसरा नम्बर 1004 भूमि जरिये रजिस्टर्ड क्रय की गई है। कोई नाला नही खरीदा गया है। मैने खसरा नम्बर 1004 रकवा 0.25 है0 भरोसी पुत्र शौनपाल से क्रय किया गया है। मौके पर मे खसरा नम्बर 1004 के रकवे पर काबिज हूँ खसरा नम्बर 1003 से मेरा कोई सम्बन्ध नही है। अप्रार्थी नम्बर 1 की ओर से कोई जबाव आदि पेश नही किया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिऐ प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, नकल जमाबंदी सम्बत 2024 से 2027,2072 से 2075,मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमांबदी खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश पेश की है।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बत 2024 से 2027 की खाता सख्या 01 मे आराजी खसरा नम्बर 859/1 रकवा 1वीधा 12 विस्वा भूमि गैरमुमकिन नाला के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी मे से मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2024 से 27 मे आराजी खसरा नमबर 859/1 रकवा 1 वीधा 12 विस्वा बद्रीलाल,रामप्रसाद पिसरान बलदेव के नाम खातेदारी मे दर्ज थी जिसका नवीन नम्बर 1003 रकवा 0.40 है0 का बना है नामान्तकरण संख्या 122 दिनांक 15.4.1974 से यह खातेदारी बद्रीलाल,रामप्रासद के नाम दर्ज रही है। इसके वाद यह भूमि अप्रार्थी भरोसी पुत्र सोनपाल खातेदारी मे दर्ज है। हाल जमबंदी सम्बत 2072 से 75 मे यह भूमि अप्रार्थी नम्बर 1 भरोसी पुत्र सोनपाल के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammened accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1003 रकवा 0.40 है0 ग्राम माचडी तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को बापस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2020 से 2023 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.6.2018 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति0 जिला कलक्टर
करौली